तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो0/2826/2005/जैसलमेर** **शिवलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.6.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह निगरानी अंतर्गत धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इ0गा0न0प0 में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 विरूद्ध आदेश आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर दिनांक 12.09.03 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना ने अपने आदेश दिनांक 15.7.97 के द्वारा प्रार्थी को चक 7 के0एच0एम0 का मुरबा नंबर70/7 के 19 बीघा कमाण्ड व 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 20 बघा भूमि का आवंटन किया गया । उक्त आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार, नाचना–1 ने नियम 22(3) उपनिवेशन अधिनियम, 1975 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जिस पर आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 12.9.2003 के द्वारा प्रार्थी का आवंटन निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 12.9.2003 व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्रम पंचायत, टाबरीवाला का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड एवं मतदाता सूची से स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम टाबरीवाला का निवासी है। विवादित भूमि का आवंटन विधिवत रूपसे लॉटरी निकाल कर किया गया एवं आवंटन करने से पूर्व पुलिस लांच व तस्दीक करने के बाद ही विधिवत रूप से आवंटन किया गया जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि प्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा कृषि ही उसका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो0/2826/2005/जैसलमेर** **शिवलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुख्य पेशा है। प्रार्थी भूमि आवंटन की दिनांक से काबिज चला आ रहा है तथा नियमित रूप से किश्तें भी जमा करवाता आ रहा है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी को विधिवत भूमि का आवंटन किया गया है जिसे निरस्त करवाने के लिए तहसीलदार को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी ऐसा ना करके उनके द्वारा नियम 22(3) के तहत शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्रार्थी का आवंटन निरस्त करवा दिया जो एक क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक बहस में कथन किया कि उक्त आवंटन, आवंटन नियम 1975 एवं राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत है। प्रार्थी ने सबूत के तौर पर जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त ग्रम के सद्भावी निवासी है बल्कि प्रार्थी के द्वारा बताया गया है कि वे घुम्मकड जाति के होने के कारण किसी एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं कर पाते है। प्रार्थी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे नहर खुदाई व कृषि मजदूरी का कार्य करते है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया है वह विधिसम्मत न न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत न्यायिक दष्टांतो का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को चक 7 के0एच0एम0 का मुरबा नंबर70/7 के 19 बीघा कमाण्ड व 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 20 बघा भूमि का आवंटन किया गया वह विधि विरूद्व है। क्योंकि प्रार्थी प्रार्थी ने सबूत के तौर पर जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त ग्रम के सद्भावी निवासी है बल्कि प्रार्थी के द्वारा बताया गया है कि वे घुम्मकड जाति के होने के कारण किसी एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं कर पाते है। प्रार्थी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे नहर खुदाई व कृषि मजदूरी का कार्य करते है। आवंटी ना तो एक सद्भावी कृषक है और ना ही उसका मुख्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो0/2826/2005/जैसलमेर** **शिवलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेशा कृषि है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित ओदश दिनांक 12.9.2003 जिसमें प्रार्थी का आवंटन निरस्त कर भमि बहक सरकार लिये जाने के आदेश किया है। वह विधिसम्मत है इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.9.2003 बहाल रखा जाता है। निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) सदस्य	